राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.5(7)प्राशि / 2022 जयपुर, दिनांकः 30 2022

-:: बैठक कार्यवाही विवरण::-

आगामी राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के सम्बन्ध में जारी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विवरण के संबंध में प्राप्त सुझावों पर विस्तृत विचार–विमर्श हेतु माननीय शिक्षामंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2022 (शुक्रवार) को अपरान्ह 5.00 बजे शासन सचिवालय स्थित कमेटी रूम नम्बर 01 में आयोजित बैठक में निम्नांकित महानुभावों ने भाग लिया:-

क0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री पी.के. गोयल	अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
2	श्री उमरदीन खान	विशिष्ठ शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
3	श्री गौरव अग्रवाल	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (वी.सी. से जुड़े)
4	श्री हरी प्रसाद शर्मा	अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
5	श्रीमती प्रियंका जोधावत	निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर (वी.सी. से जुड़े)
6	श्री मुकेश कुमार कायथवाल	शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
7	डॉ. रणवीर सिंह	विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

उक्त बैठक में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा प्रेषित संशोधित पाठ्य विवरण एवं परीक्षा योजना पर विस्तृत विचार–विमर्श कर निम्नानुसार अनुमोदित किया गया:-

अध्यापक, लेवल–प्रथम व लेवल–द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा योजना (Scheme) एवं पाठ्य विवरण (Syllabus):-

1. परीक्षा 300 अंकों की होगी।
2. परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा।
3. प्रश्न पत्र की समयावधि 02 घण्टे 30 मिनिट होगी।
4. प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहु विकल्पी प्रश्न होंगे।
5. उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंको का एक तिहाई भाग काटा जाएगा।

   स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :-

परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय–समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जाएगा।

प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय एवं अंक भार निम्नानुसार होंगे :-

1. अध्यापक, लेवल–प्रथम (कक्षा–01 से 05 तक के लिए)

i	राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा	100 अंक
ii	राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय	80 अंक
iii	विद्यालय विषय	
	(अ) हिन्दी	10 अंक
	(ब) अंग्रेजी	10 अंक
	(स) गणित	10 अंक
	(द) सामान्य विज्ञान	10 अंक

	(य) सामाजिक अध्ययन	10 अंक
iv	शैक्षणिक रीति विज्ञान	
	(अ) हिन्दी	08 अंक
	(ब) अंग्रेजी	08 अंक
	(स) गणित	08 अंक
	(द) सामान्य विज्ञान	08 अंक
	(य) सामाजिक अध्ययन	08 अंक
v	शैक्षणिक मनोविज्ञान	20 अंक
VI	सूचना तकनीकी	10 अंक
	कुल योग	**300 अंक**
	टिप्पणी : विद्यालय विषयों की अन्तर्वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा एवं कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा।	

2. अध्यापक, लेवल–द्वितीय (कक्षा–06 से 08 तक के लिए)

i	राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा	80 अंक
ii	राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय	50 अंक
iii	संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान	120 अंक
iv	शैक्षणिक रीति विज्ञान	20 अंक
v	शैक्षणिक मनोविज्ञान	20 अंक
VI	सूचना तकनीकी	10 अंक
	कुल योग	**300 अंक**
	टिप्पणी : विद्यालय विषयों की अन्तर्वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा एवं कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा।	

साथ ही उक्त भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) राजस्थान, बीकानेर द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर के सहयोग से तैयार किया जायेगा। अन्त में धन्यवाद के साथ मीटिंग समाप्त हुई।

(मुकेश कुमार कोयथवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव........................
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि बैठक कार्यवाही विवरण अनुसार वांछित कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।
5. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बैठक कार्यवाही विवरण अनुसार वांछित कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
7. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/(आयोजना) विभाग।
8. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव